



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256521
CG-DL-E-21082024-256521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3213]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3213]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3529 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3791(E) तारीख 24/08/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH-173 के कि.मी. 116.800 से कि.मी.149.070 (होसदुर्गा - होलालकेरे खंड) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्डशोल्डरसहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31/08/2023" को "विजया कर्नाटक" और "डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया

है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH-173 के कि.मी. 116.800 से कि.मी.149.070 (होसदुर्गा - होलालकेरे खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: चित्रदुर्गा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: होलालकेरे					
गांव का नाम: बोममनकटते					
1	17	निजी	ड्राय	0.0505	रंगप्पा ऍस्/ओ लेट गुडाडप्पा मल्लम्मा डबल्यू/ओ लेट ओबावा रुक्मम्मा डबल्यू/ओ लेट ओबव्वा के ऍन् विश्वनाथ ऍस्/ओ के नागेंद्रप्पा
2	18	निजी	ड्राय	0.0355	शान्तम्मा डी ओ मुत्तलप्पा 18/2
3	25	सरकारी	लेक खराब	0.1303	लेक खराबू
4	27	निजी	ड्राय	0.0025	रुद्रप्पा ऍस्/ओ दसप्पा

गांव का नाम: वुगानेकाटे					
5	68	सरकारी	खराब	0.0375	गवर्नमेंट ग्रास खराब
Total				0.2563	

[फा. सं. RWNH-1 20371 /14/2021 -22/KNT lzone-III-I/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O.3529 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3791(E) Dated:24/08/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-173 in the stretch of land from Km. 116.800 to Km. 149.070 (Hosadurga - Holalkere Section) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Vijaya Karnataka**” and “**Deccan Herald**” both dated **31/08/2023**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 116.800 to Km. 149.070 (Hosadurga - Holalkere Section) of NH-173 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: CHITRADURGA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person

1	2	3	4	5	6
Taluk: Holalkere					
Village: Bommanakatte					
1	17	Private	Dry	0.0505	Rangappa S/o Late Gudadappa Mallamma W/o Late Obava Rukkamma W/o Late Obavva K N Vishwanath S/o k Nagendrappa
2	18	Private	Dry	0.0355	Shantamma D o Muttalappa 18/2
3	25	Government	Lake Kharab	0.1303	Lake Kharabu
4	27	Private	Dry	0.0025	Rudrappa S/o Dasppa
Village: Vuganekatte					
5	68	Government	Kharab	0.0375	Government Grass Kharab
Total				0.2563	

[F.No. RWNH-1 20371 /14/2021 -22/KNT lzone-III-I/3D]

ABHAY JAIN, Director